Indian Council of Agricultural Research
Krishi Bhawan, New Delhi – 110 001

F.No. 8(1)/2011-IU / 724 **Dated 17.9.2015**

To,

The Directors/PDs
All the ICAR Units

Subject: Non – compliance by the Ministries / Departments in timely submission of Action Taken Notes on the Non-selected Audit Paragraphs of C&AG of India – Twentieth Report (16th Lok Sabha) of the Public Accounts Committee (Para 7, 8).

Sir,

Please find enclose Office Memorandum No.12(22)/E. Coord/2015 dated 7.9.2015 issued by Deptt. of Expenditure, Ministry of Finance on the subject cited above. It may be ensure that the recommendations contained in the aforesaid O.M. may strictly be adhered to for timely submission of ATNs in respect of Non Selected C&AG Audit Paragraphs of the C&AG of India.

Yours faithfully,

(Rashmi R. Rao)
Dy. Director (Fin)

No.12(22)/E.Coord/2015
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
****

North Block, New Delhi
Dated 7th September, 2015

OFFICE MEMORANDUM

Subject :- 'Non-compliance by the Ministries/ Departments in timely submission of Action Taken Notes on the Non-selected Audit Paragraphs of the C&AG of India –Twentieth Report (16th Lok Sabha) of the Public Accounts Committee (para 7, 8,).

The undersigned is directed to refer to 20th Report of the Public Accounts Committee (16th Lok Sabha) para no.7 & 8 under the caption Ministry of Environment Forests & Climate Change. The Committee has recommended as under :-

"7. The Committee further recommend that henceforth, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, and all other Ministries having outstanding ATNs should issue a Standing Order to all their divisions and units across the country to the effect that Audit objections at the time of actual audit should be taken note of and shared with all their divisions and units which are liable to such objections by virtue of similarity of functions. Thereafter, as soon as the C&AG reports are tabled in Parliament, concerned units/divisions should promptly process and submit the Action Taken Notes for approval without awaiting instructions from the Ministry Headquarters. The Heads of each divisions/ units should be acquainted with audit obligations and made accountable to ensure necessary action in this regard."

"8. The Committee further desire that the Ministry of Finance may coordinate with all Ministries regarding compliance to this recommendations of the Committee and apprise the Committee of the progress achieved within six months."

2. For compliance of the recommendations contained in para 7 above, all the Ministries/ Departments are requested to communicate the recommendations of the PAC to their sub-ordinate offices so that ATNs can be submitted within the stipulated time. The Ministries/ Departments are also requested to ensure that heads of their sub-ordinate / attached offices are acquainted with audit objections as well as procedure for dealing with PAC matters.

सं. 12(22)/ई.कोऑर्ड/2015

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

7 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मंत्रालयों/विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट समय पर प्रस्तुत न किया जाना - लोक लेखा समिति (16वीं लोक सभा) की 20वीं रिपोर्ट (पैरा 7 और 8)।

अधोहस्ताक्षरी को लोक लेखा समिति (16वीं लोक सभा) की 20वीं रिपोर्ट के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शीर्षक के तहत पैरा सं. 7 और 8 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। समिति की सिफारिश इस प्रकार है:-

"7. समिति यह भी सिफारिश करती है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य सभी मंत्रालय जिन्होंने की-गई-कार्यवाही टिप्पण प्रस्तुत नहीं किया है, को पूरे देश में अपने सभी प्रभागों और एककों को इस आशय का स्थायी आदेश देना चाहिए कि वे वास्तविक लेखापरीक्षा के समय लेखापरीक्षा संबंधी आपत्तियों को नोट करें तथा कृत्यों की समानता के कारण ऐसी आपत्तियों के लिए जिम्मेदार अपने सभी प्रभागों और एककों को बताएं। तत्पश्चात् नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट संसद के सभा पटल पर रखे जाने के साथ ही मंत्रालय मुख्यालय के अनुदेशों की प्रतीक्षा किए बिना संबंधित एककों/प्रभागों को की-गई-कार्यवाही टिप्पण की प्रक्रिया पूरी कर अनुमोदन हेतु तुरंत प्रस्तुत करना चाहिए। प्रत्येक प्रभाग/एककों के प्रमुखों को लेखापरीक्षा बाध्यताओं से अवगत होना चाहिए तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।"

"8. समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि वित्त मंत्रालय उसकी इस सिफारिश का अनुपालन कराने के लिए सभी मंत्रालयों के साथ समन्वय करे और इस दिशा में हुई प्रगति से उन्हें छह महीने के अंदर अवगत कराए।"

2. उपर्युक्त पैरा 7 में उल्लिखित सिफारिशों के अनुपालन के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि लोक लेखा समिति की सिफारिशें अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भेजें ताकि की गई कार्रवाई संबंधी नोट निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रस्तुत किए जा सकें। मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित किए जाने का भी अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों के प्रमुख लेखापरीक्षा आपत्तियों और लोक लेखा समिति से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए।

3. यह भी अनुरोध है कि इन अनुदेशों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट कृपया इस विभाग को उपलब्ध कराई जाए ताकि उसे लोक सभा सचिवालय को दिनांक 17.09.2015 तक अग्रेषित किया जा सके।